पेड़ों की कटाई रुकवाने के लिये ज्ञापन दिया

पाटन, (निसं)। नीमकाथाना पालिका क्षेत्र के वार्ड नं. 07 के खसरा नंबर 434, 435 विवादित भूमि पर बरगद के हरे पेड़ो की कटाई रुकवाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर हरे पेड़ों की कटाई को रुकवाने की मांग की है। जुगल किशोर ने ज्ञापन में लिखा है कि वार्ड नं. 07 स्थित तालाब के पास खसरा नं. 434, 435 विवादित भूमि का जनहित को ध्यान में रखते हुए कई न्यायालयों में मुकदमे चल रहे है। उक्त भूमि के दस्तावेजों में फेर बदल कर नगर पालिका उपाध्यक्ष अपने पद का दुरुप्रयोग करते हुए अपने बेटे के नाम सहित अन्य के नाम से उक्त भूमि के चार पट्टे जारी कर लिए गए, जिसकी लिखित शिकायत भी की गई। उक्त भूमि में महेश मेगोतिया, राजेंद्र शर्मा, हरलाल बिजारणियां, शिंभूदयाल अग्रवाल (चिपलाटा वाला), सत्यनारायण शर्मा वर्षों पुराने हरे बरगद व पीपल के पेड़ों की कटाई की कोशिश कर रहे है। हिंदू धर्म में बरगद व पीपल के पेड़ों की पूजा की जाती हैं। पेड़ों की कटाई से धार्मिक भावना आहत हो सकती हैं। वर्षों पुराने पेड़ों की कटाई होने से रोका जाएं एवं सभी लोगों को लिखित नोटिस देकर पाबंद किया जाए।

टोडा चौकी इंचार्ज के खिलाफ ग्रामीणों ने जयपुर पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा

महानिरीक्षक जयपुर को ज्ञापन सौंपने आये कालाकोटा के ग्रामीण।

पाटन, (निसं)। निकटवर्ती ग्राम पंचायत टोडा के राजस्व ग्राम कालाकोटा के ग्रामीणों ने महानिरीक्षक जयपुर को ज्ञापन सौंपकर टोडा पुलिस चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की है।

मामले के अनुसार टोडा, कालाकोटा, तेलीवाला, रामल्यास गांव के अंदर से जा रहे खदानी ओवर लोड डंपरों को रोकने की मांग पर अड़े हैं, क्योंकि इन डंपरो से आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती है। 24 मई को डंपर से पत्थर गिरने पर एक बालिका बाल-बाल बच गई थी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ओवरलोड वाहनों को रुकवा दिया था। बाद में परिवहन विभाग द्वारा चालान काट कर कार्रवाई की गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस चौकी इंचार्ज मोहनलाल स्वामी विगत पांच वर्षों से टोडा चौकी में जमा हुआ है तथा खान माफियाओं के इशारे पर ओवरलोड वाहनों का संचालन करता है। खान माफियाओं के हिसारों पर ग्रामीणों के साथ गाली-गलौज अभद्र व्यवहार करते हैं। ओवरलोड वाहनों से आए दिन गांव में पत्थर गिरते हैं जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। ग्रामीण जब इसकी शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंचते हैं तो पुलिस चौकी इंचार्ज एफ आई आर दर्ज करने के बजाय ग्रामीणों को ही डांट फटकार कर भगा देते हैं।

ग्रामीणों ने पुलिस चौकी इंचार्ज को हटाने व ओवरलोड डंपरो को बंद करवाने को लेकर पुलिस महा निरीक्षक जयपुर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने वालों ने बताया है की इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर रोहिताश बटार ,कानाराम गुर्जर, कृष्ण गुर्जर द्वारा आई जी जयपुर को ज्ञापन दिया गया। पूर्व में भी ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सीकर एवं स्थानीय नेताओं को भी अवगत करवा दिया था उसके बावजूद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मजबूरन ग्रामीणों को जयपुर आईजी से मिलना पड़ा।

■ **ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस चौकी इंचार्ज मोहनलाल स्वामी विगत पांच वर्षों से टोडा चौकी में जमा हुआ है तथा खान माफियाओं के इशारे पर ओवरलोड वाहनों का संचालन करता है**

पौधों का वितरण किया जाएगा

चूरू, (कासं)। जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में संचालित साण्डवा, गोपालपुरा, भालेरी, मेघसर, तारानगर, सरदारशहर, बन्धनाऊ, साडासर, पीएमसी चूरू, नेचर पार्क चूरू, गाजसर, राजलदेसर, रतनगढ़, राजगढ़, बीड़ लीलकी, चांदगोठी पौधशालाओं में 1 जून से 21 लाख पौधों का वितरण किया जायेगा। उपवन संरक्षक सविता दहिया ने बताया कि नर्सरियों का समय सवेरे 9 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। वन विभाग द्वारा 6 एवं 12 माह के पौधे तैयार किये जा रहे हैं, जिन्हें विभिन्न विभागों, कंपनियों, स्वयंसेवी संस्थाओं को क्रमशः 9 रुपये तथा 15 रुपये प्रति पौधा की दर से उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 8.50 लाख पौधे व्यक्तिगत लाभार्थियों को निर्धारित शुल्क 2 रुपये 1 से 10 पौधे तक, 5 रुपये 11 से 50 पौधे तक, 10 रुपये 51 से 200 पौधे तक प्रति पौधा की दर से वितरित किया जाएगा। व्यक्तिगत लाभार्थियों को जन आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि वन मण्डल चूरू में संचालित नर्सरियों से सम्बन्धित किसी प्रकार की सहायता एवं जानकारी के लिए घनश्याम सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

सार-समाचार

सोनू को वॉलीबाल टीम की कमान

सादुलपुर, (निसं)। हुगली पश्चिम बंगाल में 28 मई से ०1 जून तक आयोजित होने वाली 45वीं सब जूनियर नेशनल वॉलीबाल प्रतियोगिता में कत्पानी हमीरवास के सोनू सांगवान को सौंपी गई है। जिला वॉलीबाल संघ के सचिव नरेश सांगवान ने बताया कि वहीं आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में चूरू जिले के हमीरवास गाँव के सोनू सांगवान तथा बींजावास के आशीष पूनियां का चयन हुआ है। वहीं छात्रा वर्ग में बैरासर छोटा की प्रसन्ना पूनियां, मोरथल की रंजना तथा जिगसाणा की अरबिना का राष्ट्रीय सब जूनियर वॉलीबाल प्रतियोगिता में चयन हुआ है। वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खिलाडियों ने प्रशिक्षक प्रवीण शर्मा, प्रभूदयाल तथा रणवीर सिंह से प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा टीम पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर वॉलीबाल संघ के अनिल सांगवान, रमेश पूनियां, अरविन्द कुमार, राकेश, अजय पूनियां, रामअवतार गोदारा, सोमवीर दडिया आदि ने खिलाडियों को शुभकामनाएं दी। संघ के सचिव नरेश सांगवान ने बताया कि सोनू सांगवान, आशीष पूनियां, प्रसन्ना पूनियां व रंजना ने चन्दगीराम अकेडमी बैरासर छोटा के कोच महेन्द्र सिंह एवं कोच अरविन्द कुमार से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

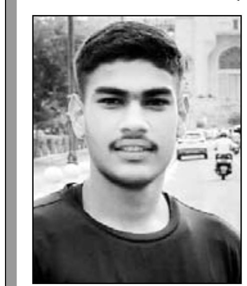

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.06.2023 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

चूरू, सुजानगढ, 135090700013741, 3752, 3767, 3769, 3771, 3832, 3833, हनुमानगढ, नोहर राजस्थान, 135640700025428, 5524, 5608, 135640730045772, पिलीबंगन, 135180700029907,

उपरोक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित का पालन करना होगा:- इच्छुक बोलीकर्ताओं को ईएमडी के रूप में रू.10,000/- नीलामी के दिन नकद जमा कराना होगा (असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाएगा). बोलीकर्ता को वैध पहचना प्रमाण/पैन कार्ड साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपया 9072604049 पर संपर्क करें.

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

बालाजी महाराज मंदिर के प्रांगण में भाजपा ने सफाई-अभियान शुरू किया

बालाजी महाराज मंदिर के प्रांगण में सफाई करते भाजपा पदाधिकारी।

मलसीसर, (निसं)। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के ऐतिहासिक एवं सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंडावा विधानसभा क्षेत्र के मलसीसर ग्रामीण मंडल के गांव टमकोर में स्थित आचार्य महाप्रज्ञ के तपोभूमि पर बालाजी महाराज मंदिर के प्रांगण में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष इंजी. प्यारेलाल ढूकिया के नेतृत्व में सफाई-अभियान को शुरु किया गया।

ढूकिया ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन अभियान "जन आंदोलन" का रुप ले चुका है। समाज के विभिन्न वर्गों को आगे आकर स्वच्छता के जन अभियान में हिस्सा लेना चाहिए एवं स्वच्छता मानव सभ्यता का एक श्रेष्ठ संस्कार है।

इस अवसर पर जिला कार्यसमिती सदस्य भवानीसिंह शेखावत, रघुवीरसिंह धतरवाल, कृष्ण कुमार प्रजापत, सत्यवीर सिंह राठौड़, विजय कुमार जांगिड़, सत्यनारायण रेपसवाल, देवेंद्र महला, तुलसीराम प्रजापत, विमल चौरड़िया, महावीरप्रसाद धानक, सुभाष शर्मा, संतोष शर्मा, रिछपाल शर्मा, करणी सिंह राजपूत, विकास राका, सुनिल धतरवाल, विक्रम नायक, महेश नायक, बद्री प्रसाद जांगिड़, विकास शर्मा, केदारमल प्रजापत, सुरेश शर्मा, ओमप्रकाश मीणा, सुभाष सहारण, अमरचंद प्रजापत, रोहिताश कालेर व पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान में सहयोग किया।

■ **स्वच्छता मानव सभ्यता का एक श्रेष्ठ संस्कारः ढूकिया**

आरोपी को जेल भेजा

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ कस्बे में लिव इन रिलेशनशीप में रह रही युवती को आत्महत्या के लिए मजूबर करने के आरोप में युवती के फांसी के फंदे पर झुलकर आत्महत्या करने के प्रकरण में राजगढ थाना पुलिस ने आरोपी मोहम्मद को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया गया है। अनुसंधान अधिकारी डीवाईएसपी ओमप्रकाश गोदारा ने बताया कि राजगढ कस्बे में लिव इन में रह रही युवती ज्योति द्वारा आरोपी मोहम्मद मुजाहिद के तंग व परेशान करने के आरोप में अपने मकान पर फाँसी का फंदा लगा कर आत्महत्या करने के आरोप का मामला राजगढ थाने में दर्ज हुआ था। जिस पर आरोपी मोहम्मद मुजाहिद पुत्र उम्मेद खाँ काजी निवासी वार्ड 24 कस्बा राजगढ को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि रामुराम पुत्र सोहनराम मोची उम्र 48 साल निवासी मोमासर पुलिस थाना डूंगरगढ जिला बीकानेर ने 26 मई शुक्रवार को राजगढ थाने में इस आरोप का मामला दर्ज करवाया था।

खिलाड़ियों के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया

राष्ट्रपति के नाम एडीएम भागीरथ साख को ज्ञापन देते स्थानीय लोग।

सुजानगढ़, (निसं)। जनहित संघर्ष मोर्चा व जनहित कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों पर रविवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को उपखण्ड कार्यालय से एडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर घटना का विरोध जताया गया। एडीएम को राष्ट्रपति के नाम दिये गये ज्ञापन में दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खिलाडियों को न्याय दिलाने की मांग की गयी।

सैंकडो लोगो ने कहा कि पदक विजेता खिलाडियों के साथ पुलिस द्वारा की गयी बर्बरता संविधान के खिलाफ है। इस मौके पर एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, रामनारायण रूलाणियां, बनवारी बिजारणियां, तेजपाल गोदारा, किशनलाल छंरग, दीनदयाल गुलेरिया, गुरूदेव गोदारा, भंवरलाल पांडर, पूनमचंद मेघवाल, गजानंद प्रजापत, महबूब बडगुजर, चांदमल छंरग सहित बडी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।

प्रारूप-10
(नियम 6(7) देखिए)
कार्यालय नगरपालिका भादरा, जिला-हनुमानगढ़ (राज.)
क्रमांक :- नपाभा/भूमि/2022-23/942 दिनांक 26.05.2023

-: लोक सूचना :-

श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (संस्थागत) उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थातः-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़	चक 05 बीएचडी	मुरब्बा नं. 44 के किला नं. 2/4, 3/6, 4/5, 7/2, 7/3, 8/2 9/2 में से कुल 0.2840 है. यानि 813.60 मीटर है	कुल- 8754.33 वर्गफुट वर्गमीटर- 813.60

इसलिए इसके द्वारा समस्त संधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूवीक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिव्स के अंदर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आदिनांक .... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, भादरा

कलेक्टर ने कॉलेज भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया

जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने जिला मुख्यालय पर बन रहे मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

झुंझुनूं, (निसं)। जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर बन रही मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली।

इसी दौरान उन्होंने बीडीके अस्पताल परिसर में बन रहे मेडिकल अस्पताल की बिल्डिंग का निरीक्षण किया एवं गुणवत्ता जांच रजिस्ट्रर एवं अन्य दस्तावेजों की भी जांच की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता निरीक्षण एवं कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने समसपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्टल्स के भवन निर्माण का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएम जेपी गौड़ सहित प्रोजेक्ट से जुड़े संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।

कलेक्टर ने शिविरों का निरीक्षण किया

झुंझुनूं, (निसं)। जिले में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप के शिविरों में आमजन को लाभान्वित किया जा रहा है। एक ही जगह एक ही जनआधार नंबर से 10 योजनाओं तक का लाभ अपने आप में अनूठा है। शिविरों की व्यवस्थाओं का स्वयं जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे है। सोमवार को जिला कलेक्टर ने नवलगढ़ ब्लॉक के राणासर एवं तोगड़ा में आयोजित महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी वितरित किए। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अन्य प्रशासनिक स्तर के कार्य भी प्रशासन गांवों के संग अभियान में करवा सकते है। जिला कलेक्टर ने इस दौरान राणासर के आंगनबाड़ी केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया। जहां पर उन्होंने सैनेटरी नेपकिन, पोषाहार की आपूर्ति एवं उसके वितरण की भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान नवलगढ़ एसडीएम सुमन सोनल भी मौजूद रही।

भाजपा शहर मंडल कार्यसमिति की बैठक आयोजित

पंडितपुर के निजी भवन में आयोजित बैठक को शहर मंडल अध्यक्ष अरविन्द इंदौरिया ने संबोधित किया।

रतनगढ़, (निसं)। भाजपा शहर मंडल रतनगढ की कार्यसमिति की बैठक पंडितपुर के निजी भवन में रविवार को शहर मंडल अध्यक्ष अरविन्द इंदौरिया के नेतृत्व में आयोजित हुई।

भारत माता व महापुरुषों के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि के साथ शुरू हुई बैठक में मंडल प्रभारी नरेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि मोदी सरकार के नौ साल में देश के विकास में अभूतपूर्व निर्णय लिये गये हैं, उसी का परिणाम है कि आज पूरा विश्व समुदाय भारत की ओर ध्यान से देख रहा है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारीक ने संगठन की रीति- नीति पर चर्चा करते हुए कहा कि संकल्प के साथ कार्यकर्ता लक्ष्य लेकर चलेंगे तो आने वाले समय में निश्चित ही मंजिल मिलेगी। मंडल अध्यक्ष इंदौरिया ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार भ्रष्टाचार की चाशनी में नीचे तक डूबी हुई है। बैठक में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शिवभगवान कम्मा, सरपंच हरिप्रसाद दायमां, भाजपा नेता गिरधारीलाल खीचङ, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल बबेरवाल ने भी विचार व्यक्त किये।

बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव का वाचन मंडल उपाध्यक्ष रमेश कुमार पारीक ने किया, जिसका समर्थन सभी कार्यकर्ताओं ने किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 101 वां संस्करण कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ सुना। इस अवसर पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मदनलाल सैनी, महामंत्री भरत सैनी व पन्नालाल नवल, उपाध्यक्ष मनोज हारित, मंत्री नारायण दायमां, बंशीधर स्वामी, हनुमान बारवाल, लिखमीचंद जांगीङ, कोषाध्यक्ष चतुर्भुज सैनी, वासुदेव चाकलान, पूर्णमल दादरवाल, दीनदयाल सोनी, शंकरलाल कम्मा, राजकुमार सोनी, नूर मोहम्मद, धनराज इन्दौरिया, ओमप्रकाश सैनी, मनोज प्रजापत, प्रह्लाद सैनी सहीत कयी कार्यकर्ता उपस्थित थे।संचालन मंडल महामंत्री रामकिशन माटोलिया ने किया।

कार्यालय ग्राम पंचायत गुगलवा पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू)

क्रमांकः-ग्राप/गुगलवा/ई-निविदा/2023-24 दिनांक 23.05.2023

ई-निविदा सूचना संख्या 01/2023-24

महानरेगा एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनान्तर्गत निर्माण सामग्री क्रय हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रो-क्यूरमेंट प्रक्रिया से वेबसाईट www.eproc.raj.gov.in पर ई निविदा सं. 01 दिनांक 25.05.2023 सांय 5 पी.एम. से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण तथा शर्ते www.sppp.raj.nic.in तथा www.eproc.raj.gov.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

ई निविदा- UBN. ZCR2324GLOB00230

सरपंच
ग्राम पंचायत गुगलवा
पंचायत समिति, राजगढ़ (चूरू)

एक माह तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम

झुंझुनूं, (निसं)। जिला परिषद स्थित सांसद कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सांसद नरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा 30 मई से 30 जून के मध्य अनेक कार्यक्रम करेगी। सांसद नरेंद्र कुमार ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता 25 जून से 30 जून के मध्य घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा जिले की प्रत्येक विधानसभा स्तर पर व्यापारी सम्मेलन तथा मंडल स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन तथा जिला स्तर पर प्रबुद्धजन सम्मेलन एवं आमजन सभा का आयोजन करेगी। मावंडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके 9 वर्ष के कार्यकाल में भारत देश विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है।

पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरणसिंह को 36वीं पुण्यतिथि पर नमन किया

नवलगढ़ कस्बे के किसान छात्रावास में पूर्व प्रधानमंत्री व किसानों के मसीहा चौधरी चरणसिंह की पुण्यतिथि मनाई।

नवलगढ़, (निसं)। कस्बे के किसान छात्रावास में सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री व किसानों मसीहा चौधरी चरणसिंह की 36वीं पुण्यतिथि मनाई गई। चौधरी चरणसिंह विचार मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मौजूद सर्वसमाज के सैंकड़ों लोगों ने छात्रावास परिसर में लगी चौधरी चरणसिंह की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। चौधरी चरणसिंह अमर रहे के नारों से परिसर गूंज उठा।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक हनुमानप्रसाद, शिवकरण जानूं, कृषि उप निदेशक विजयपाल कस्वां, पवन पूनियां, केडी यादव बतौर अतिथि मंचस्थ रहे। वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरणसिंह द्वारा किसानों, वंचितों, शोषितों व देश के विकास में आर्थिक सुधारों के लिए किए गए योगदान के बारे में विस्तार से बताया। कृषि वैज्ञानिक हनुमानप्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हापुड़ में साधारण किसान परिवार में सन् 1902 में जन्मे चरणसिंह ने विज्ञान से स्नातकोत्तर व कानून की पढ़ाई पूरी कर देश सेवा में लग गए। चौधरी चरणसिंह ने ही देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों से होकर गुजरता है का नारा दिया था।

इस अवसर पर गोमाराम दतुसलिया, कालूराम झाझड़िया, गंगाधर सुंडा, वीएस झाझड़िया, भाजपा नेता विक्रमसिंह जाखल, वीरपालसिंह शेखावत, सैनी समाज संस्था अध्यक्ष सुरेंद्र फूलवाला, राजेश कटेवा, अनिल दूत, ओमेंद्र चारण, राजूलाल मील, लोहार्गल सरपंच जगमोहनसिंह, टोडपुरा सरपंच भंवरसिंह धींवा, पबाणा सरपंच विजेंद्र डोटासरा, डूंडलोद सरपंच हरफूलसिंह पूनियां, खिरोड़ सरपंच महावीरसिंह भामू, घोड़ीवारा सरपंच रघुवीरसिंह झूरिया, सोटवारा सरपंच प्रतिनिधि राहुल चौधरी, जिप सदस्य बीरबलसिंह गोदारा, पंसस प्रताप पूनियां, रामनिवास डूडी, अनिल जाखड़, सुभाष लांबा, लक्ष्मण स्वामी, सुनील जाखड़, ओमप्रकाश ढाका, नरेंद्र गहलोत, सुरेंद्र ख्यालिया, रामसिंह दूलड़, पूरणसिंह आजाद, बलदेव थोरी, हितेश थोरी, विकेश कुलहरि, विजेंद्र सुंडा, श्रीचंद नेहरा, भंवरसिंह भास्कर, योगेंद्र मिश्रा, मुरली चोबदार सहित सर्वसमाज के लोग मौजूद रहे। संचालन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी उम्मेदसिंह महला ने किया।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022
IDFC FIRST Bank

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहितओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तो की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	31099348	सम्पत्ति पर ऋण	1. रमेश कुमार स्वामी 2. फूल चन्द स्वामी 3. रीना स्वामी	13.05.2023	3,71,997.48/-	पट्टा नं. 2370, वार्ड नं. 05, क्षेत्रफल 189.11वर्गगज अर्थात 1702 वर्ग फिट, हीरालाल जी मंदिर के पास, ग्राम व ग्राम पंचायत मऊ, पंचायत समिति श्री माधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान-332715 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है-उत्तर-नरेन्द्र सिंह जी और कालू सामोता का मकान, दक्षिण-आम रास्ता, पूर्व-फूली देवी पत्नी बाबूलाल स्वामी का मकान, पश्चिम-भंवर सिंह/गजेन्द्र सिंह का मकान

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अथोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-
दिनांक- 30.05.2023
स्थान- सीकर
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)